रजि० सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 81] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 17, 1972/चैत्र 28, 1894

No. 81] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 1972/CHAITRA 28, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April 1972

No. RS. 1/2/72-L.—The following order by the President, dated the 17th April, 1972, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at 11.00 A.M. on Monday, the 8th May, 1972, at New Delhi.

The 17th April, 1972.

V. V. GIRI,
President."

B. N. BANERJEE, Secy.

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1972

संख्या आर० एस० 1/2/72 **ए ग** :—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश, दिनांक 17 अप्रैल, 1972, आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा राज्य सभा को सोमवार, 8 मई, 1972 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे नई दिल्ली में समवत होने के लिए आमन्त्रित करता हूं ।

वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति ।"

17 अप्रैल, 1972 ।

बी० एन० बनर्जी, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972